

परिपत्र संख्या-स0द0-2020-21/ 304/कम्प्यूटर0परि0सं0- 2021 009 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, 30प्र01

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 08 अगस्त , 2020

समस्त,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),

ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0),

असिस्टेन्ट कमिश्नर(प्रभारी) सचल दल

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।


**विषय-MS Module पर उपलब्ध ऑन लाइन पंजी की प्रविष्टियों को अद्यतन किए जाने के सम्बन्ध में।**

सचल दल इकाईयों द्वारा प्रान्तीय अधिनियम की धारा 129 एवं धारा 130 के अर्न्तगत कार्यवाही विभागीय माडयूल पर उपलब्ध कराई गयी पंजी में दिनांक 01-06-2018 से ऑन लाइन सम्पादित की जा रही है एवं इससे पूर्व GST के अर्न्तगत प्रवर्तित सम्बंधी कार्यवाही मैनुअली सम्पादित की गयी है। सचल दल इकाईयों द्वारा रोके गये माल एवं वाहन को सम्बंधित व्यक्ति द्वारा कर एवं अर्थदण्ड का संदाय (Payment) करने के उपरान्त अवमुक्त किया जाता है। ऑन लाइन पंजी पर उपलब्ध Payment Details मेन्यू में कतिपय संशोधन किया गया है जिससे प्रान्तीय अधिनियम की धारा 129 अथवा धारा 130 के अर्न्तगत कर, अर्थदण्ड अथवा जुर्माना का संदाय होना सुनिश्चित किया जा सके। पूर्व में की गयी ऑन लाइन एवं ऑफ लाइन कार्यवाही में Payment Details सम्बंधी प्रविष्टियाँ निम्न सारिणी के अनुसार अद्यतन की जायेगी :-

क्रम सं0	पंजी अवधि	अद्यतन किये जाने की अन्तिम तिथि
1.	जुलाई 2020 से अप्रैल 2020	05.08.2020
2.	मार्च 2020 से दिसम्बर 2019	14.08.2020
3.	नवम्बर 2019 से अगस्त 2019	20.08.2020
4.	जुलाई 2019 से अप्रैल 2019	25.08.2020
5.	मार्च 2019 से दिसम्बर 2018	31.08.2020
6.	नवम्बर 2018 से अगस्त 2018	05.09.2020
7.	जुलाई 2018 से जून 2018	08.09.2020
8.	मई 2018 से जनवरी 2018	18.09.2020
9.	दिसम्बर 2017 से जुलाई 2017	30.09.2020

धारा 129 अथवा धारा 130 के अर्न्तगत पारित आदेशों के विरुद्ध धारा 107 के अर्न्तगत दाखिल अपीलों के निस्तारण के पश्चात सचल दल कार्यालय में प्राप्त अपीलीय निर्णयों की प्रविष्टियाँ अद्यतन करने हेतु MS Module में एक नया मेन्यू विकसित कराया गया है जिसमें जुलाई 2020 तक प्राप्त अपीलीय निर्णयों की प्रविष्टियाँ दिनांक 31-08-2020 तक पूर्ण कर ली जायें।


उक्त निर्देशों का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

  
(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक: उक्त।

1. एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0/विधि)वाणिज्य कर, मुख्यालय।
2. डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को परिपत्र की एक प्रति वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

  
14-08-2020  
ज्वाइण्ट कमिश्नर(स0द0)वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, लखनऊ।